प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ माननीय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

रिट याचिका क्रमांक 3836 / 1989

अजय कुमार जैन

बनाम

बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश

आदेश हेतु सूचीबद्ध करें : 14/12/2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा

रिट याचिका क्रमांक 3836 / 1989

याचिकाकर्ता	अजय कुमार जैन, उम्र 36 वर्ष, पिता श्री अयोध्या प्रसाद जैन, निवासी श्री दिगंबर जैन मंदिर के पीछे, स्टेशन रोड, रायगढ़, जिला रायगढ़, मप्र (अब छत्तीसगढ़)
बनाम	
उत्तरदाता	1. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अध्यक्ष प्रधान कार्यालय दयालबंद बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) 2. अध्यक्ष, बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय, दयालबंद , बिलासपुर, जिला बिलासपुर, मप्र (अब छत्तीसगढ़) 3. निदेशक मंडल,द्वारा अध्यक्ष बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दयालबंद , बिलासपुर, जिला बिलासपुर, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) 4. छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोतीलाल पेट्रोल पंप लिंक रोड के पास, बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उत्प्रेषण, परमादेश आदि की प्रकृति के रिटों के लिए और उपयुक्त आगे के निर्देशों के लिए रिट याचिका

उपस्थिति:

श्री संजय के अग्रवाल, श्री सौरभ शर्मा और श्री सुदीप अग्रवाल, **याचिकाकर्ता** के अधिवक्ता।

श्री प्रमोद कुमार वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा श्री सुमित वर्मा **उत्तरदाता** के अधिवक्ता।

रिट याचिका No . 3836 of 1989

आदेश

(14.12.2010)

<u>सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) याचिकाकर्ता बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में शाखा प्रबंधक था। नवंबर 1981 से सितंबर 1985 तक याचिकाकर्ता सरसींवा शाखा जिला रायपुर में पदस्थ था। सरसींवा शाखा से याचिकाकर्ता को पोरथा शाखा, जिला बिलासपुर में स्थानांतरित कर दिया गया था। सरसींवा में उसकी पदस्थापना से संबंधित याचिकाकर्ता के खिलाफ अध्यक्ष को कई शिकायतें मिली थीं । शिकायतें ऋण देने के लिए रिश्वत लेने के संबंध में थीं। प्रारंभिक जांच की गई और याचिकाकर्ता से ज्ञापन दिनांक 3.12.85 (अनुलग्नक-सी) द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया। याचिकाकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 14.12.85 (अनुलग्नक-आर/1) के माध्यम से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए सरसींवा शाखा जाने की अनुमति मांगी । ज्ञापन दिनांक 13.2.86 (अनुलग्नक-आर/2) द्वारा

अनुमति प्रदान की गई। याचिकाकर्ता ने सरसींवा शाखा का दौरा किया और इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 27.2.86 (अनुलग्नक-डी) पत्र द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस बीच याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुईं और दिनाँक 27.10.86 (अनुलग्नक-ई) के ज्ञापन द्वारा आगे स्पष्टीकरण मांगा गया था। याचिकाकर्ता ने फिर से सरसींवा शाखा में दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया। उत्तरवादियों का तर्क है कि इससे पहले जब याचिकाकर्ता सरसींवा शाखा गए थे, तो उन्होंने शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी और इस संबंध में 4.3.86 (अनुलग्नक-आर/3) के पत्र द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इसलिए, इस बार प्रबंधन ने याचिकाकर्ता से 10.2.87 (अनुलग्नक-जी) का ज्ञापन देकर उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा, जिनका वह निरीक्षण करना चाहते थे। याचिकाकर्ता ने उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट नहीं किया आरोप ऋण वितरण में अनियमितताएं बरतने, सब्सिडी में अनियमितताएं बरतने, ऋण देने के लिए अवैध परितोषण मांगने और मुख्यालय को झूठी एवं गलत जानकारी देने आदि से संबंधित हैं। आरोप पत्र में शामिल 8 आरोपों से संबंधित कोई दस्तावेज याचिकाकर्ता को नहीं दिए गए। गवाहों की सूची भी आरोप पत्र के साथ संलग्न नहीं की गई। इसलिए याचिकाकर्ता ने 21.7.87 (अनुलग्नक-एल) को एक आवेदन दायर किया और उत्तरदाता प्राधिकारियों से दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए सरसींवा शाखा जाने की अनुमति देने का फिर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अनुरोध किया। याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया कि पहले भी प्रारंभिक जांच के दौरान उसने शिकायतों की प्रतियां उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना की थी और सरसींवा शाखा जाकर संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए भी प्रार्थना की थी, लेकिन उसे अनुमति नहीं दी गई। इसलिए याचिकाकर्ता के लिए आरोप पत्र का जवाब दाखिल करना मुश्किल है और उसे उक्त उद्देश्य के लिए सरसींवा शाखा जाने की अनुमति दी जाए । इस आवेदन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई और प्रबंधन ने विभागीय जाँच कराने का निर्णय लिया और दिनांक 29.7.87 (अनुलग्नक-एम) के आदेश द्वारा एक जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दिनांक 5.8.87 (अनुलग्नक-एन) को एक और आवेदन प्रस्तुत किया और आरोपों से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का अनुरोध किया, अन्यथा वह जवाब दाखिल नहीं कर पाएगा। हालाँकि, जाँच शुरू हुई और 21.8.87, 7.9.87, 22.9.87, 11.11.87, 12.11.87, 13.11.87, 2.12.87, 4.12.87, 5.12.87, 7.12.87 और 8.12.87 को बैठकें हुईं। प्रबंधन ने अपना लिखित बयान दिनांक 9.2.88 (अनुलग्नक- क्यू) दायर किया, याचिकाकर्ता ने भी अपना लिखित बयान दिनांक 18.3.88 (अनुलग्नक- आर) प्रस्तुत किया और अंततः जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 27.7.88 प्रस्तुत की। जांच अधिकारी ने आरोप क्रमांक 3 और 8 को साबित नहीं पाया। हालांकि, अवैध परितोषण स्वीकार करने के आरोप सहित अन्य आरोप सिद्ध पाए गए। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जांच रिपोर्ट

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से सहमति व्यक्त की और इसके बाद याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट की एक प्रति के साथ 30.7.88 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ता ने 9.8.88 को जवाब दाखिल किया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने के बाद 26.8.88 (अनुलग्नक- यू) को याचिकाकर्ता को सेवा से पृथक करने का आदेश पारित किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील दिनांक 26.5.89 (अनुलग्नक-एक्स) के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय के. अग्रवाल ने सबसे पहले तर्क दिया कि आरोप अस्पष्ट हैं। इसलिए, ऐसे आरोपों पर आधारित जाँच निष्पक्ष न होकर दोषपूर्ण मानी जाएगी। उन्होंने **सवाई सिंह बनाम राजस्थान राज्य, एआईआर 1986 एससी 995** और **सुरथ चंद्र चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [1970 (3) एससीसी 548] के निर्णयों का अवलंब लिया है।**

(3) सिद्धांतों के लिए, मैं श्री अग्रवाल द्वारा उद्धृत उपरोक्त निर्णयों की मुख्य सामग्री पर चर्चा करना चाहूंगा। **सवाई सिंह (पूर्वोक्त) में** आरोप अस्पष्ट थे और किसी भी आरोपी द्वारा आरोपों का निष्पक्ष रूप से सामना करना मुश्किल था।

सर्वोच्च न्यायालय ने **सुरथ चंद्र चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 1971 एससी 752** और **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस श्री राम राव [एआईआर 1963 एससी 1723] के निर्णयों का अवलंब लेते हुए** कहा कि सेवा की समाप्ति के परिणाम से जुड़े आरोप विशिष्ट होने चाहिए; हालांकि एक विभागीय जांच एक आपराधिक प्रकरण की तरह नहीं है और ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई अपचारी तब तक निश्चित नहीं होता है जब तक कि यह संदेह से परे साबित न हो जाए। लेकिन किसी विभागीय जाँच में नौकरी छूटने, जिसका आजकल मतलब आजीविका का नुकसान भी है, जैसी घटनाएँ हो सकती हैं। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। किसी कर्मचारी के विरुद्ध प्रतिकूल या दंडात्मक परिणामों से संबंधित आदेश के संबंध में, परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, जहाँ तक ये किसी विशेष परिस्थिति में लागू होते हैं, आरोपों की जाँच होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जहाँ अपचारी अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप अस्पष्ट हों और उसने जाँच अधिकारी या उच्च न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया हो, वहाँ केवल यह तथ्य कि उसने जाँच में भाग लिया है, विभाग को आरोपों से मुक्त नहीं कर सकता। ऐसे आरोपों पर आधारित जाँच निष्पक्ष न होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. **सुरथ चंद्र (पूर्वोक्त)** में आरोप इतना संक्षिप्त था कि इसे स्वतंत्र रूप से समझा नहीं जा सकता था और यह अपीलकर्ता को अपना बचाव करने के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह ठीक इसी कारण से था कि मूलभूत नियम 55 यह प्रावधान करता है कि आरोपों के साथ आरोपों का विवरण भी होना चाहिए। आरोपों का विवरण प्रस्तुत करने का पूरा उद्देश्य सभी आवश्यक तथ्य और विस्तृत जानकारी देना है जो बचाव को प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर देने की आवश्यकता को पूरा करेगा। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि आरोपों के पूरी तरह से अस्पष्ट और अनिश्चित होने और आरोपों के विवरण जिसमें सारवान तथ्य और विस्तृत जानकारी शामिल हैं, अपीलकर्ता को प्रदान नहीं किए जाने के कारण अपीलकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले में 8 आरोप थे और याचिकाकर्ता को दिए गए अभियोग पत्र से पता चलता है कि व्यक्ति और तारीखों के संदर्भ में अभियोग पत्र में विभिन्न विवरणों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में, प्रत्येक आरोप के लिए, सबसे पहले संबंधित प्राधिकारी ने आरोपों के आरोपों को विस्तार से बताया है और उसके बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सटीक आरोप का उल्लेख किया गया है। यदि लगाए गए आरोपों को एक ही पत्र पर एक अलग कॉलम में वर्णित आरोपों के साथ पढ़ा जाता है, तो यह

स्पष्ट होगा कि आरोप वास्तव में अस्पष्ट नहीं थे और एक विशेष आरोप को ठीक से तैयार करने और उक्त आरोप के संदर्भ में लगाए गए आरोपों के बयान के बाद, यह सभी आवश्यक विवरण देता है जो **सुरथ चंद्र (पूर्वोक्त)** में आयोजित बचाव को प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर देने की आवश्यकता को पूरा करेगा । आरोपों का विवरण प्रस्तुत करने का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में ठीक से समझने के लिए सभी आवश्यक विवरण देना है। यदि आरोप-पत्र में आरोप उपलब्ध हों, और निर्धारित विशिष्ट आरोपों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग-अलग, अन्यथा आरोप-पत्र के साथ आरोपों या आरोपों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। यदि हम अपचारी के विरुद्ध निर्धारित आरोपों को आरोप-पत्र के एक ही पृष्ठ पर दिए गए आरोपों के विवरण के साथ-साथ पढ़ें, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि सभी आवश्यक विवरण मौजूद थे और ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपों के पूरी तरह से अस्पष्ट और अनिश्चित होने के कारण याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(6) श्री अग्रवाल ने आरोप क्रमांक 4 पर बहुत जोर दिया है जो 4,000/- रुपये के ऋण के अनुदान के लिए 400/- रुपये का अवैध परितोषण लेने से संबंधित है। उक्त आरोप में, जिस तारीख को परितोषण स्वीकार किया गया था वह अंकित नहीं है। हालांकि, आरोप के आरोपों से यह स्पष्ट है कि 12.7.84 को उधारकर्ता की

किराने की दुकान के लिए 4,000/- रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया था और मोहनलाल अग्रवाल नामक व्यक्ति को वस्तुओं की आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया था। मोहनलाल ने 400/- रुपये कम की वस्तुएं यह कहते हुए आपूर्ति की कि यह राशि उसके द्वारा काट ली गई है जो उसने याचिकाकर्ता को स्वीकृत ऋण के तहत आपूर्ति आदेश देने के लिए भुगतान की थी। हालांकि मोहनलाल द्वारा याचिकाकर्ता को 400/- रुपये देने की तारीख आरोप में नहीं है, लेकिन तारीख के साथ अन्य सभी विवरण आरोप पत्र के आरोपों में मौजूद हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सटीक आरोप क्या हैं। मेरे विचार से, इस आरोप पत्र के आरोपों को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह आरोप स्पष्ट और असंदिग्ध हो जाता है और श्री अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत तर्क उचित प्रतीत नहीं होता। इसके अलावा, यह एकल आरोप का मामला नहीं था। कुल 8 आरोप थे, जिनमें से आरोप क्रमांक 3 और 8 को छोड़कर, जाँच अधिकारी द्वारा अन्य सभी आरोप सिद्ध पाए गए। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, केवल आरोप क्रमांक 4 का तथ्य ही अधिक महत्वपूर्ण नहीं होगा और अन्य आरोपों के आलोक में, जिन्हें सिद्ध पाया गया है, जाँच अधिकारी की रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) श्री अग्रवाल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को आरोपों सहित कोई भी दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए। बाद के किसी भी चरण में, दस्तावेज़ों की प्रतियाँ

उपलब्ध नहीं कराई गईं। याचिकाकर्ता ने शाखा सरसींवा में जाने की अनुमति देकर दस्तावेज़ों के निरीक्षण का अनुरोध किया , जिसे भी अस्वीकार कर दिया गया, और इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया। अतः, जाँच रिपोर्ट दोषपूर्ण है।

(8) यह विवादित नहीं है कि गवाहों या दस्तावेजों की सूची, जिन पर प्रबंधन ने कथित 8 आरोपों को साबित करने के लिए भरोसा करने की मांग की थी, आरोप पत्र के साथ याचिकाकर्ता को नहीं दिए गए थे। उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार वर्मा ने तर्क दिया कि आरोपों के कवरिंग मेमो दिनांक 13.7.87 (अनुलग्नक-के) में यह उल्लेख किया गया था कि यदि याचिकाकर्ता अपना जवाब दाखिल करने से पहले दस्तावेजों का निरीक्षण करना चाहता है और दस्तावेज बैंक के कब्जे में हैं, तो याचिकाकर्ता को ऐसे दस्तावेजों की एक सूची दाखिल करनी चाहिए और उसे याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों के साथ दस्तावेजों की सुसंगतता भी दिखानी चाहिए। उनका कहना था कि याचिकाकर्ता पर आरोप पत्र तामील करने वाले मेमो दिनांक 13.7.87 में उक्त खंड प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त अनुपालन था और यदि याचिकाकर्ता ने उपरोक्त मेमो के अनुसार दस्तावेजों की कोई सूची दाखिल नहीं की है तो यह नहीं कहा जा सकता कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(9) पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंदी तर्कों को समझने के लिए, मैं दिनांक 13.7.87 के ज्ञापन/आरोप-पत्र में उल्लिखित खंड की विषय-वस्तु को उद्धृत करना चाहूँगा, जिसका उल्लेख उत्तरवादियों के अधिवक्ताओं ने तर्कों में किया है। यह इस प्रकार है:

> "यदि आप अपना बचाव उत्तरदाता न प्रस्तुत करने से पहले बैंक की अभिरक्षा में किन्ही दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहते हैं तो आरोपों से उन दस्तावेजों की सम्बद्धता का स्पष्ट एवं तर्कसंगत उल्लेख करते हुए दस्तावेजों की सूची शाखा प्रबंधक - मरवाही के माध्यम से हमें तत्काल प्रेषित करें करें।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) **काशीनाथ दीक्षित बनाम भारत संघ एवं अन्य [(1986) 3 एससीसी 229] में** , सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब कोई शासकीय कर्मचारी अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना कर रहा हो, तो उसे अपने विरुद्ध लगे आरोपों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उचित अवसर दिए जाने का अधिकार है और विभागीय जाँच का सामना कर रहा कोई भी व्यक्ति तब तक आरोपों का प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकता जब तक कि उसके विरुद्ध प्रयुक्त किए जाने वाले सुसंगत बयानों और दस्तावेजों की प्रतियां उसे उपलब्ध न करा दी जाएं। ऐसी प्रतियों के अभाव में, संबंधित कर्मचारी अपना बचाव कैसे तैयार कर सकता है,

गवाहों से प्रतिपरीक्षण कैसे कर सकता है, और आरोपों को अविश्वसनीय साबित करने के लिए विसंगतियों को कैसे इंगित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व के निर्णयों का हवाला देते हुए अनुच्छेद 13 में कहा कि:

"13. अपीलकर्ता ने इस प्रस्ताव के समर्थन में **त्रिलोक नाथ बनाम भारत संघ [1967 एसएलआर 759 (एससी)] अवलंब लेकर तर्क दिया कि** कि यदि जांच का सामना कर रहे किसी लोक सेवक को दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, तो यह उचित अवसर से वंचित करने के समान होगा। इस मामले में यह अवधारित किया गया है:

'अगर उसने ऐसा करने का निर्णय किया होता, तो ये दस्तावेज़ अपीलकर्ता के लिए उसके खिलाफ गवाही देने वाले गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने में उपयोगी होते। अगर दस्तावेज़ों की प्रतियाँ अपीलकर्ता को उपलब्ध कराई गई होतीं, तो वह उन्हें पढ़ने के बाद, नियम के तहत अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए मौखिक जाँच की माँग कर सकता था। इसलिए, हमारे विचार से, जाँच अधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को एफआईआर और शिदिपुरा स्थित घर पर और जाँच के दौरान दर्ज किए गए बयानों जैसे दस्तावेज़ों की प्रतियाँ उपलब्ध न कराना, जाँच में अपना बचाव करने में अपीलकर्ता के लिए पूर्वाग्रह का कारण बना।" **पंजाब राज्य बनाम भगत राम, (1975) 1 एससीसी 155** और **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मोहम्मद शरीफ, (1982) 2 एससीसी 376 का भी हवाला दिया गया है कि विभागीय जाँच का सामना कर रहे शासकीय कर्मचारी को गवाहों के बयानों की प्रतियाँ अवश्य उपलब्ध कराई जानी चाहिए। **पंजाब राज्य बनाम भगत राम (पूर्वोक्त) मामले में** इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अवधारित किया गया है:

राज्य ने तर्क दिया कि उत्तरदाता बयानों की प्रतियाँ प्राप्त करने का हकदार नहीं है। राज्य का तर्क यह था कि उत्तरदाता को गवाहों से प्रतिपरीक्षण करने का अवसर दिया गया था और प्रतिपरीक्षण के दौरान उत्तरदाता को गवाहों के सामने बयानों का सामना करने का अवसर मिलेगा। यह तर्क दिया गया कि सारांश उत्तरदाता को साक्ष्य के सार से परिचित कराने के लिए पर्याप्त था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने के उचित अवसर का अर्थ यह है कि शासकीय कर्मचारी को उन आरोपों के विरुद्ध अपना बचाव करने का उचित अवसर प्रदान किया जाए जिन पर जाँच चल रही है। शासकीय कर्मचारी को अपने अपचार से इनकार करने और अपनी निर्दोषता साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। वह ऐसा तब कर सकता है जब उसे बताया जाए कि उसके विरुद्ध क्या आरोप हैं। वह अपने विरुद्ध प्रस्तुत गवाहों से प्रतिपरीक्षण करके ऐसा कर सकता है।

बयान देने का उद्देश्य यह है कि शासकीय कर्मचारी, अपने विरुद्ध प्रस्तावित गवाहों के पूर्व बयानों का उल्लेख कर सके। जब तक शासकीय कर्मचारी को बयान नहीं दिए जाएँगे , तब तक वह प्रभावी रूप से प्रतिपरीक्षण नहीं कर पायेगा।

शासकीय कर्मचारी को जाँच के दौरान परीक्षित और जाँच के दौरान पेश किए गए गवाहों के बयानों की प्रतियाँ देने से इनकार करना अन्यायपूर्ण और अनुचित है। सारांश, प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर देने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।' "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) **किसान डिग्री कॉलेज की प्रबंधन समिति बनाम शंभू शरण पांडे एवं अन्य (1995) 1 एससीसी 404 में** उत्तरवादी, जिसे आरोप पत्र दिया गया था, ने यथाशीघ्र उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण की मांग की और आरोप पत्र पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। जांच अधिकारी ने उत्तर दिया कि चूंकि उत्तरदाता ने पहले ही आरोप पत्र का उत्तर मदवार दे दिया है, इसलिए वह अंतिम बहस के समय दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र है। जांच के परिणामस्वरूप उत्तरदाता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दस्तावेजों का निरीक्षण करने के अवसर को अंतिम सुनवाई के समय तक स्थगित करना स्पष्ट रूप से एक गलत प्रक्रिया थी।

पहली बार में, अपचारी को निरीक्षण का अवसर दिया जाना चाहिए और उसके बाद जांच की जानी चाहिए और फिर जांच के समापन के समय अपचारी को सुना जाना चाहिए। इस मामले में वह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

(12) **उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शत्रुघ्न लाल एवं अन्य, (1998) 6 एससीसी 651 में** , यह अवधारित किया गया कि सुनवाई का अवसर, जिस पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत जोर देते हैं, एक प्रभावी अवसर होना चाहिए न कि केवल दिखावा । विभागीय कार्यवाहियों में, जहां आरोप-पत्र जारी किया जाता है और उस व्यक्ति के खिलाफ उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित दस्तावेजों का उल्लेख आरोप-पत्र में किया जाता है, लेकिन उसके अनुरोध के बावजूद उसकी प्रतियां उसे नहीं दी जाती हैं और साथ ही, उसे अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, यह नहीं कहा जा सकता कि बचाव का एक प्रभावी अवसर प्रदान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय बनाम अमरीक सिंह, 1995 सप्प (1) एससीसी 321 में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया**, जिसमें यह संकेत दिया गया था कि अपचारी अधिकारी को आरोपों के समर्थन में जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उनकी प्रतियां अवश्य दी जानी चाहिए। यह भी संकेत दिया गया कि यदि दस्तावेज बहुत बड़े हैं और प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई जा सकतीं, तो ऐसे अधिकारी को उनका निरीक्षण करने का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए, अन्यथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उल्लंघन होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा-6 में आगे कहा कि प्रारंभिक जांच, जो हमेशा दोषी कर्मचारी के खिलाफ की जाती है, अक्सर आरोप-पत्र का पूरा आधार बन सकती है। इसलिए, किसी व्यक्ति को आरोप-पत्र पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहे जाने से पहले, उसके द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध पर, उसे प्रारंभिक जांच के दौरान दर्ज गवाहों के बयानों की प्रतियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए, खासकर यदि उन गवाहों से विभागीय जांच में परीक्षण प्रस्तावित हो। **काशीनाथ दीक्षित (पूर्वोक्त) के निर्णय** का भी अवलंब लिया गया, जिसमें कहा गया था कि यह चूक विभागीय कार्यवाही को तब तक दूषित कर देगी, जब तक कि यह नहीं दिखाया और स्थापित नहीं कर दिया जाता कि उन दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध न कराने से दोषी को अपने बचाव में कोई नुकसान नहीं हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम सरोफ कुमार सिन्हा [जे टी s2010 (1) एससी 618] में**, सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि कानून का यह प्रस्ताव कि विभागीय जांच का सामना कर रहा शासकीय कर्मचारी सभी प्रासंगिक बयान, दस्तावेज और अन्य सामग्री पाने का हकदार है, ताकि उसे आरोपों के खिलाफ विभागीय जांच में अपना बचाव करने का उचित अवसर मिल सके, इतना स्थापित है कि इसे और अधिक दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

(14) उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर यदि हम याचिकाकर्ता के मामले की जांच करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरवादियों द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। जैसा कि पहले कहा गया है, हालांकि याचिकाकर्ता के खिलाफ 8 आरोप तय किए गए थे और आरोप-पत्र की प्रति याचिकाकर्ता को 13.7.87 को दी गई थी, न तो गवाहों की सूची आरोप-पत्र के साथ संलग्न की गई थी और न ही गवाहों के बयान या उत्तरवादियों द्वारा भरोसा किए जाने वाले दस्तावेज आरोप-पत्र के साथ याचिकाकर्ता को दिए गए थे। याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन दिनांक 21.7.87 (अनुलग्नक-एल) द्वारा अध्यक्ष के समक्ष इन बिंदुओं को उठाया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है कि जब तक उन्हें उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तब तक वह अपना जवाब दाखिल करने की स्थिति में नहीं होंगे। इसलिए, उन्हें दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वर्मा ने आरोप-पत्र की तामील के ज्ञापन में संलग्न अंतिम नोट पर अड़े रहे और कहा कि यदि याचिकाकर्ता ने निरीक्षण के लिए दस्तावेजों की सूची, उन दस्तावेजों की प्रासंगिकता के साथ, दी होती, तो उत्तरदाता उसे निरीक्षण करने की अनुमति देते, लेकिन चूंकि याचिकाकर्ता ने विभागीय जांच शुरू होने से पहले ऐसी कोई सूची दाखिल नहीं की, इसलिए उसके द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया और उत्तरवादियों को प्राकृतिक न्याय के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सिद्धांतों का पालन न करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। श्री वर्मा के तर्क को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में स्वीकार नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता को कैसे पता चला कि बैंक जांच के समय कैसे - कैसे दस्तावेजों पर भरोसा करने वाला है? याचिकाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि बैंक जांच के समय कैसे - कैसे गवाह पेश करेगा? याचिकाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि उसके खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज की गई हैं और वे शिकायतें किसके द्वारा और कौन सी हैं? यह सर्वविदित है कि जब अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ आरोप लगाए जाते हैं, तो अभियोजन पक्ष का बचाव करने वाले व्यक्ति को उन आरोपों का खंडन करना आवश्यक होता है, और जाँच/परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष को उन्हें सिद्ध करना होता है, न कि बचाव पक्ष या अपचारी को अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन किए बिना सामान्य रूप से अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी होती है। इसलिए , आरोप-पत्र के ज्ञापन में ऐसे नोट का उल्लेख मात्र ही मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) उपरोक्त के अलावा हम यह भी देखते हैं कि जांच के पहले दिन, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने 65 दस्तावेजों की सूची दायर की और उन्होंने जांच के दौरान जांच किए जाने वाले 19 गवाहों की सूची भी दायर की। दिन की कार्यवाही

और दस्तावेजों की सूची के अवलोकन से पता चलता है कि इसमें दुकानों के विभिन्न निरीक्षण कार्ड, विभिन्न शिकायतें, समाचार पत्र की कटिंग और बिल आदि शामिल हैं। इससे पता चलता है कि जांच के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल बैंक के नियमित दस्तावेजों का उपयोग करने का प्रस्ताव नहीं था। हम नियमित दस्तावेजों के बारे में समझ सकते हैं कि याचिकाकर्ता ने सामान्य तौर पर संबंधित व्यक्तियों के ऋण रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए कहा होगा, लेकिन हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह जानता होगा कि उपरोक्त के अलावा बैंक के पास कई अन्य दस्तावेज हैं जो बैंक याचिकाकर्ता के खिलाफ उपयोग करने जा रहा है और उसे उन दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए थी? जाँच की कार्यवाही से यह भी स्पष्ट है कि जाँच के पहले ही दिन, यानी 21.8.87 को, याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उस दिन की कार्यवाही में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"ईओ से एई: क्या आरोप पत्र में लगाए गए आरोप आपको स्वीकार्य हैं।

एई से ईओ: जी नहीं। मुझे स्वीकार्य नहीं है। आरोप गलत है। आरोप पूर्वाग्रह और दुर्भावतावश लगाया गया है। इसके बावजूद प्रधान कार्यालय के निर्देशों का पालन करते हुए मैं अपना पक्ष प्रस्तुत करू उसके पहले मुझे आरोपों के आधार से सम्बंधित कागजात सौपें जावें तथा इसके लिए

मुझे पर्याप्त समय दिया जावे ताकि निरीक्षणार्थ दस्तावेजों के संबंध में आपको लिख सकूं जिसका की बचाव के लिए निरीक्षण मुझे आवश्यक लगे। "

(16) इससे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही दिन दस्तावेजों की मांग की और निरीक्षण के लिए भी प्रार्थना की, लेकिन जांच अधिकारी ने इसकी परवाह नहीं की और संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां जांच के दौरान भी याचिकाकर्ता को नहीं दी गईं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि इससे पहले जब प्रारंभिक जांच के दौरान याचिकाकर्ता को पहला ज्ञापन जारी किया गया था, तो उसे सरसींवा शाखा के दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि, जब दूसरा ज्ञापन जारी किया गया और याचिकाकर्ता ने फिर से निरीक्षण के लिए प्रार्थना की, तो उत्तरवादियों ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि इससे पहले जब याचिकाकर्ता ने सरसींवा शाखा का दौरा किया था, तो उसने शिकायतकर्ताओं और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी, और इस संबंध में 4.3.86 (अनुलग्नक-आर/3) की एक शिकायत प्राप्त हुई थी और इस कारण प्रबंधन ने याचिकाकर्ता से उन दस्तावेजों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा था, जिनका वह निरीक्षण करना चाहता था। प्रबंधन द्वारा दिया गया यह स्पष्टीकरण इस साधारण कारण से तुच्छ प्रतीत होता है कि यदि याचिकाकर्ता गवाहों पर दबाव डालकर या उन्हें धमकाकर प्रभावित करना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहता था, तो उसे रोकना प्रबंधन के हाथ में नहीं था क्योंकि सरसींवा जाने पर याचिकाकर्ता पर कोई प्रतिबंध नहीं था । इसलिए, प्रबंधन द्वारा लिया गया यह आधार कि यदि उन्होंने याचिकाकर्ता को सरसींवा गाँव जाने की अनुमति दी होती , तो इस बात की पूरी संभावना थी कि याचिकाकर्ता गवाहों को प्रभावित करता, पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

(17) अतः यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को जाँच में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया क्योंकि आरोप-पत्र के साथ दस्तावेजों की प्रतियाँ और गवाहों की सूची आदि याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं कराई गई। याचिकाकर्ता ने दस्तावेजों की आपूर्ति की माँग की, लेकिन उनकी माँग पूरी नहीं की गई और जाँच शुरू कर दी गई। याचिकाकर्ता को दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई। जाँच के पहले दिन भी, याचिकाकर्ता ने फिर से इसी तरह की आपत्ति उठाई और उसने दस्तावेजों की आपूर्ति और दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति मांगी, जो पूरी जाँच के दौरान याचिकाकर्ता को नहीं दी गई और याचिकाकर्ता को अवैध परितोषण लेने के आरोप सहित 8 में से 6 आरोपों में दोषी ठहराया गया और सेवा से हटा दिया गया। उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के अनुसार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिया गया और इसलिए, केवल इसी आधार पर दंड का आदेश यथावत नहीं रखा जा सकता।

(18) उपरोक्त कारणों से, याचिका स्वीकार की जाती है। निष्कासन आदेश दिनांक 26.8.88 (अनुलग्नक-U) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिनांक 26.5.89 (अनुलग्नक-X) पारित आदेश भी निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता इस आदेश से प्राप्त सभी पारिणामिक का हकदार होगा।

(19) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur